रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1446] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2013/ज्येष्ठ 31, 1935
No. 1446] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2013/JYAISTHA 31, 1935

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2013

का.आ. 1788(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 के आदेश सं. का.आ.2659(अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निदेश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाली उपरोक्त

आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा ।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]
सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 के आदेश सं. का.आ. 2659(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2013

S.O. 1788 (E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by order S.O. 2659(E) dated the 31st October, 2012, regarding the commodities specified in column (2) of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on 30th June, 2013 shall be extended for a further period of three months from the date of expiry of the said order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]
SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Note. —The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2659(E), dated the 31st October, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.